



2026:AHC-LKO:20873

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1400 / 2026

राम करन एवं 3 अन्य

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: राम प्रकाश सिंह, आशीष कुमार सिंह,
रवींद्र कुमार सिंह, विवेक कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।
- यह वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्तों-आवेदकों ने वाद अपराध संख्या 0009/2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1), थाना- उमरी बेगमगंज, जिला- गोंडा में, जमानत के लिए दायर की है।
- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता दलील दी कि गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में मौजूदा आवेदकगण के विरुद्ध सिर्फ एक मामला दर्शाया गया है तथा उस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले में आवेदकगण को इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने आपराधिक अपील संख्या - 3813 / 2024 एवं 3815 / 2024 में दिनांक 09.02.2026 को दिए गए आदेश के अंतर्गत जमानत पर रिहा कर दिया है। जमानत आदेश, जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के तौर पर संलग्न हैं। गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में दर्शाए गए मामले के अलावा, आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 20.01.2025 से कारागार में हैं। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त अरुण कुमार कोरी, सौरभ पांडे, विशाल मिश्रा और दीपक पांडे @ कमलेश पांडे, विष्णुदेव पासवान तथा अखिलेश तिवारी को इस न्यायालय ने पहले ही दिनांक 09.01.2026, 07.01.2026, 29.01.2026 और 19.02.2026 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 91/2026, 76/2026, 13/2026, 9/2026, 406/2026 और 800/2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदकगण इन सह-अभियुक्तों के जमानत आदेश के साथ समानता (पैरिटी) का दावा करते हैं।

4. यह भी कहा गया है कि आवेदकगण, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यक शर्तों के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि आवेदकगण के न्यायिक अभिरक्षा से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों के मुताबिक वे ऊपर बताये गए तथ्यों पर कोई सवाल नहीं उठा सके।
6. इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि आवेदकगण दिनांक 20.01.2025 से कारागार में हैं; आवेदकगण को गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में दर्शाए गए मामले में जमानत पर रिहा किया गया है; गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में दर्शाए गए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले के अलावा, उनका कोई और पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, सह-अभियुक्त अरुण कुमार कोरी, सौरभ पांडे, विशाल मिश्रा और दीपक पांडे @ कमलेश पांडे, विष्णुदेव पासवान तथा अखिलेश तिवारी को इस न्यायालय ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मुझे लगता है कि यह आवेदकगण को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है।
8. आवेदकगण - राम करन, राम लगन, संतोष पासवान @ संतोष कुमार पासवान और रितेश @ राकेश, जो ऊपर बताए गए वाद अपराध संख्या में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं को देने पर जमानत पर रिहा किया जाये, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के साथ :-
 - (i) आवेदकगण विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - (ii) आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/डराया नहीं करेंगे।
 - (iii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देंगे या वादा नहीं करेंगे, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - (iv) आवेदकगण को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य हेतु तय दिनांकों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेंगे। इस शर्त को न मानने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का गलत प्रयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।
 - (v) आवेदकगण को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) के अंतर्गत एक वचन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भी दाखिल करना होगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

- (vi) आवेदकगण को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना किसी सही वजह के अनुपस्थित रहते हैं, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।
- (vii) अगर आवेदकगण विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदकगण ऐसी उद्घोषणा में तय दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ मौजूदा जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं तथा विचारण (ट्रायल) के गुण-दोष पर इसका कोई असर नहीं रहेगा।

23 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।